

## भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

पोत परिवहन मंत्रालय/MINISTRY OF SHIPPING नौवहन महानिदेशालय/DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING "बिटा बिल्डिंग", 9 वी मंजिल/"BETA BUILDING", 9th FLOOR आय-थिंक टेक्नो कॅम्पस / I-THINK TECHNO CAMPUS कांजुर गाँव रोड / KANJUR VILLAGE ROAD कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST) मंबई - 400 042/MUMBAI - 400 042

Tele: 022-25752040/1/2/3
Fax: 022-25752029/35
E-mail: dgship-dgs@nic.in
Web: www.dgshipping.gov.in

फाईल सं. पीबी-29(3)/98

टेलीफोन: 022-25752040/1/2/3

फैक्स: 022-25752029/35

ई-मेल: dgship-dgs@nic.in

वेब: www.dgshipping.gov.in

दिनांकः 03.01.2018

## कार्यालय आदेश संख्या 03/2018

एमएसीपी स्कीम के अंतर्गत दिनांक 17.02.2016 के इस कार्यालय आदेश 22 के अनुसार श्री मुकुल दत्ता उप नौविक पाल की की स्वीकृती अपग्रेडेशन पर फिर से विचार किया गया और यह पाया गया की।

- (ए) वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या फाईल नं. 1/1/2008-आई/सी के दिनांक 13.11.2009 के अनुसार इस कार्यालय ने अवने कार्यालय संख्या संख्या 134 दिनांक 11.12.2009 के अनुसार पे स्ट्रक्चर पिरशोधित किया था (सहायक नाविकपाल/सहायक निदेशक) रु. 9300-34800 + ग्रेड पे रु. 4200/- को रु. 9300-34800 + ग्रेड पे रु. 4600/- किया गया था।
- (बी) श्री मुकुल दत्ता की नियुक्ति के समय वे 01/03/1999 से उस समय प्रचलित वेतनमान रु. 6500-200-10500 (5 वां सीपीसी वेतन मान) ने सहायक नाविक पाल/सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त हुए थे। इस के बाद वे 01/03/2001 के सहायक नाविक पाल। सहायक निदेशक के पद पर कन्फर्म हुए।
- (सी) इसके बाद वे उप नाविक पाल/उप निदेशक के पद पर तत्कालिन वेतन माल रु. 9300-34800 + ग्रेड पे रु. 4600 में 30.11.2004 से पदोन्नत हुए और रु. 4600/- रुपया के ग्रेड पे मे दस साल की निरंतर नियमित सेवा पूरी करने के उपरांत उन्हें दिनांक 17/02/2018 के कार्यालय आदेश संख्या 22 के अनुसार 30.11.2014 से दूसरा वित्तीय अपग्रेडेशन दिया गया।
- (डी) अशोधित एमएसीपी के अंतर्गत अपग्रेडेशन दिए जाने के प्रयोजन से छठे वेतन आयोग धारा संस्तुत वेतन मानोको मिलाए जाने पदों का अपग्रेड किए जाने के कारण एक जैसी ग्रेड पे वाले ग्रेडों मे जो है उन्हें एएसीपी के अंतर्गत प्राप्त पदोन्नोती दिया गए अपग्रेडेशन को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 19/05/2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/3/2008- स्थापना के पैरा पांच अनुलग्नक के अनुसार ध्यान नहीं रखा जाएगा क्योंकि सहायक नाविक पाल और उप नाविक पाल की ग्रेड पे फिर से यानी रु. 4600/- रुपए है उन्हें उप नाविक पाल के रूप में दी गई पदोन्नित की उपर्युक्त ज्ञापन के प्रवधानों के अनुसार ध्यान मे नहीं रखना होगा। 01/03/2009 को उन्होंने रु. 4600/- रुपया की ग्रेड पे मे दस साल की नियमित सेवा पुरी कर ली है। 01/03/2009 को पहली एसीपी देय हो गई थी जो कि रु. 4800/- रूपया के ग्रेड पे मे थी बजाय इसके की उन्हें 30.11.2014 से दूसरा वित्ती अपग्रेडेशन दिया जाय।
- (2) इसलिए सक्षम प्राधिकारी ने आदेश दिया है कि श्री मुकुल दत्ता उप नाविक पाल को दिनांक 17.02.2016 के आदेश संख्या 22 के अनुसार 30.11.2014 से की बजाय 01/03/2009 से पे बैंड 2 के वेतन मान मे रू. 9300-34800 ग्रेड पे रू. 4800/- मे पहली एमएसीपी दी जाए।

- (3) इस समीक्षा के आधार पर श्री टी. के. कृष्ण कुमार, उप निदेशक नाविक रोजगार कार्यालय, समुद्री वाणिज्य विभाग शंकर बिल्डिगं राजाजी सालाई चेन्नई द्वारा माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारीन के समक्ष फाईल किया गया। ओ.ए. 310/1146/2017 में दिनांक 20/07/2017 को दिया गया मौखिक आदेश था।
- (4) इसे नौवहन महानिदेशक और विशेष सचिव, भारत सरकार के अनुमोदन जारी किया जाता है।

(र्मुआष बरगुजर) उप नौवहन महानिदेशक (कार्मिक)

सेवा में,

श्री मुक्ल दत्ता, उप नाविक पाल, सरकारी नौवहन कार्यालय, मुबंई.

जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित की प्रतिलिपि,

- 1. प्रधान अधिकारी, समुद्री वाणिज्य विभाग, मुंबई श्री मुकुल दत्ता, उप नाविक पाल के वेतन निर्धारण में संशोधन करने और उनके कारण वेतन के बकाया राशि को संशोधित करने के अनुरोध के साथ।
- 2. वेतन एवं लेखा अधिकारी (नौवहन), मुबंई.



ਨੀਜ: 022-25752040/1/2/3 1: 022 - 25752029 / 35 ਜੋ: dgship-dgs@nic.in www.dgshipping.gov.in भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय/MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय/DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING
"बिटा बिल्डिंग", 9 वी मंजिल/"BETA BUILDING", 9 "FLOOR
आय-थिंक टेक्नो कॅम्पस / I-THINK TECHNO CAMPUS
कांजुर गांव रोड/KANJUR VILLAGE ROAD
कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG(EAST)
मुंबई - 400 042/MUMBAI - 400 042

Tele: 022-25752040/1/2/3

Fax: 022 - 25752029 / 35

E-mail: dgship-dgs@nic.in

Web: www.dgshipping.gov.in

## F.NO.PB-29(3)/98

Dated: 03.01.2018

## OFFICE ORDER NO. 03/2018

Financial upgradation granted to Shri Mukul Dutta, Deputy Shipping Master vide this office Order No. 22 dated 17.02.2016 under the MACP Scheme has been reviewed and it is observed that –

(a) As per Ministry of Finance, Department of Expenditure's O.M. No.F.No.1/1/2008-Ic dated 13.11.2009, this office vide Office Order No.134 dated 11.12.2009 revised the pay structure of (Asstt. Shipping Master/Asstt. Director ) ₹9300-34800 + Grade Pay 4200/- as ₹9300-34800 + Grade Pay Rs.4600/-.

(b) Shri Mukul Dutta was appointed as Assistant Shipping Master/Assistant Director (ASM/AD) in the pay scale of ₹ 6500-200-10500[5<sup>th</sup> CPC scale) w.e.f.01.03.1999 prevalent at the time of his appointment. Subsequently he was confirmed in the post of Asstt. Shipping Master/Asstt. Director w.e.f.01.03.2001

(c) Further, he was promoted to the post of Deputy Shipping Master/Deputy Director in the then pay scale of ₹9300-34800 + Grade Pay ₹ 4600/-w.e.f. 30.11.2004 and on completion of 10 years of continuous regular service in the Grade Pay of ₹ 4600/- he was granted the 2<sup>nd</sup> Financial upgradation w.e.f. 30.11.2014 vide Ofice Order No.22 dated 17.02.2016.

(d) As per para 5, Annexure-I of Office Memorandum No.35034/3/2008-Estt(D) dated 19.05.2009 issued by the Department of Personnel and Training, Promotions earned/upgradations granted under the Assured Career Progression (ACP) scheme in the past to those grades which now carry the same grade pay due to merger of pay scales/upgradatons of posts recommended by the Sixth Pay Commission shall be ignored for the purpose of granting upgradations under Modified ACPs. Since the grade pay of Assistant Shipping Master and Deputy Shipping Master is identical i.e. ₹4600/-, the promotion granted to him to the post of Dy.Shipping Master has to be ignored as per the provisions of the above

mentioned Memborandum. Hence he has completed 10 years of regular service in the grade pay of ₹4600/- on 01.03.2009 and he was due for first MACP as on 01.03.2009 in the Grade pay of ₹4800/-instead of second financial upgradation w.e.f. 30.11.2014.

- Therefore, the competent authority has ordered for grant of first MACP to Shri Mukul Dutta, Deputy Shipping Master, in the scale of PB-2, ₹ 9300-34800 + grade pay ₹ 4800/- w.e.f. 01.03.2009 instead of w.e.f. 30.11.2014 issued vide Order No. 22.dated17.02.2016.
- This review was undertaken based on an Oral Order dated 20<sup>th</sup> July 2017 pronounced by the Hon'ble Central Administrative Tribunal, Madras Bench in OA/310/01146/2017 filed by Shri T. K. Krishnakumar, Deputy Director, Seamen's Employment Office, Mercantile Marine Department, Anchor Gate Building, Rajaji Salai, Chennai.
- 4. This issues with the approval of the Director General of Shipping and Special Secretary to the Govt. of India.

(Subhash Barguzer)
Deputy Director General of Shipping, (personnel)

To Shri Mukul Dutta, Deputy Shipping Master, Government Shipping Office, Mumbai Copy forwarded for information and necessary action to:

 The Princiapl Officer, Mercantile Marine Department, Mumbai with a request to revise the pay fixation of Shri Mukul Dutta, Deputy Shipping Master and draw arrears of pay due to him.

2. The Pay & Accounts Officer (Shipping), Mumbai.

